विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 18 सितंबर, 2007 को अपराहन 3.00 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 18वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की सोलहवीं (16वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 18 सितंबर, 2007 को अपराहन 3.00 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट)।

मुख्य एजेंडा

1. मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात में 1074.176 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनामिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1, क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक का प्रस्ताव 5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड की स्थापना के लिए है परंतु राज्य सरकार ने केवल 1074.1755 हेक्टेयर के लिए प्रस्ताव पर विचार करने की सिफारिश की है जो विकासक के कब्जे में है। तथापि, राजस्व विभाग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करने का अनुरोध किया कि क्या मौजूदा पोर्ट में एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि मौजूदा प्रस्ताव एसईजेड की स्थापना के लिए है तथा यह मौजूदा पोर्ट क्षेत्र में स्थित नहीं है। राजस्व विभाग ने परियोजना रिपोर्ट की ओर ध्यान आकृष्ट किया जिसमें अन्य बातों के साथ यह उल्लेख है कि एसईजेड का कुछ क्षेत्र पोर्ट बैकअप एरिया है। उन्होंने बताया कि यदि इस क्षेत्र में कोई पोर्ट मौजूद है या प्रस्तावित है तो उनको आपत्ति है। विकासक के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि मौजूदा प्रस्ताव में कोई पोर्ट नहीं है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने अपने फील्ड कार्यालय से अतिरिक्त रिपोर्ट मंगाई है जो 2 सप्ताह के अंदर प्राप्त हो जाएगी। यदि उनको कोई आपत्ति होगी तो वे वाणिज्य विभाग को उसकी सूचना देंगे। इसके अधीन, विस्तृत विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात में 1074.176 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनामिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. चरोली बुडरुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 12.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्राइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1, क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चरोली बुडरुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 12.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्राइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटीईएस

सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम शिरगांव, कोशिंबे, गासकोपरी, दहीसर, चंदनसर, खराडी, कोपरी, भटपाडा, डोलिव, कसराली, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 2245 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए प्रिविलेज पावर एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 3):

राज्य सरकार ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

4. ग्राम रामपारा एवं लुनसापुर, जिला अमरेली, गुजरात में 156 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए ई कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम रामपारा एवं लुनसापुर, जिला अमरेली, गुजरात में 156 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ई कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. ग्राम तिवरी और रजावली, तालुक वसई, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आरएनए बिल्डर्स का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्तावित एसईजेड क्षेत्र में डीपी रोड है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि डीपी रोड के प्रस्तावित क्षेत्र का कब्जा सौंपने के लिए राज्य प्राधिकारियों ने अपनी अनापत्ति प्रदान की है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 40.85 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम तिवरी और रजावली, तालुक वसई, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आरएनए बिल्डर्स द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि एसईजेड का प्रस्तावित क्षेत्र संस्पर्शी होगा।

6. गांधीनगर, गुजरात में 10.117 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएस) का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गांधीनगर, गुजरात में 10.117 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएस) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. कंकसा, पानगढ़, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए एनफील्ड एनर्जी लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

8. ग्राम भामसारा के पास, बवला - बागोदरा हाइवे, अहमदाबाद, गुजरात में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड (जेडब्ल्यूएल) का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम भामसारा के पास, बवला - बागोदरा हाइवे, अहमदाबाद, गुजरात में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड (जेडब्ल्यूएल) द्वारा वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. प्लाट नंबर 6, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स परफेक्ट आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 1) :

नोट किया गया कि राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के साथ प्रस्ताव की सिफारिश की गई है कि विकासक अपेक्षित समय सीमा के अंदर भूमि के संयोजन का सुनिश्चय करेगा। चूंकि राज्य सरकार की सिफारिश विकासक के पास भूमि के कब्जा के संबंध में स्पष्ट नहीं है और अनुमोदन बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने भूमि पर कब्जा के संबंध में विकास आयुक्त, नोकिया एसईजेड से रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

10. प्लाट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए फाल्कॉन कॉमर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 2) :

नोट किया गया कि राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के साथ प्रस्ताव की सिफारिश की गई है कि विकासक अपेक्षित समय सीमा के अंदर भूमि के संयोजन का सुनिश्चय करेगा। चूंकि राज्य सरकार की सिफारिश विकासक के पास भूमि के कब्जा के संबंध में स्पष्ट नहीं है और अनुमोदन बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने भूमि पर कब्जा के संबंध में विकास आयुक्त, नोकिया एसईजेड से रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

11. सेक्टर 143ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.0256 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए डीएलएफ कॉमर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 3) :

नोट किया गया कि राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के साथ प्रस्ताव की सिफारिश की गई है कि विकासक अपेक्षित समय सीमा के अंदर भूमि के संयोजन का सुनिश्चय करेगा। चूंकि राज्य सरकार की सिफारिश विकासक के पास भूमि के कब्जा के संबंध में स्पष्ट नहीं है और अनुमोदन बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने भूमि पर कब्जा के संबंध में विकास आयुक्त, नोकिया एसईजेड से रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

12. प्लाट नंबर 1, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए यूनीटेक हाइटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 4) :

नोट किया गया कि राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के साथ प्रस्ताव की सिफारिश की गई है कि विकासक अपेक्षित समय सीमा के अंदर भूमि के संयोजन का सुनिश्चय करेगा। चूंकि राज्य सरकार की सिफारिश विकासक के पास भूमि के कब्जा के संबंध में स्पष्ट नहीं है और अनुमोदन बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने भूमि पर कब्जा के संबंध में विकास आयुक्त, नोकिया एसईजेड से रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

13. पेरुर चेट्टिपलयम गांव, कोयंबटूर दक्षिण तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 5) :

नोट किया गया कि भूमि सहायक कंपनियों के कब्जे में है। टिडको के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि भूमि पर कब्जा के संबंध में सहायक कंपनियों के साथ करार किया गया है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि यह संयुक्त उद्यम है जिसमें टिडको पार्टनर है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर

विकासक का कब्जा नहीं है। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया। टिडको के प्रतिनिधि को सलाह दी गई कि भूमि पर विकासक का कब्जा होना चाहिए, चाहे यह टिडको हो या संयुक्त उद्यम कंपनी हो। टिडको के प्रतिनिधि को विकासक के नाम में भूमि के अंतरण की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नया आवेदन दाखिल करने की सलाह दी गई।

14. ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 68 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन एसईजेड स्थापित करने के लिए अर्शिया टेक्नोलाजीज इंटरनेशनल लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 68 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अर्शिया टेक्नोलाजीज इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 21.13 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस-ए के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 21.13 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस-ए के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

16. उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 38.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 38.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

17. उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 13.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस-सी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 13.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस-सी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

18. गांधीनगर - सरखेज हाइवे, गांधीनगर, गुजरात में 22.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 10) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गांधीनगर - सरखेज हाइवे, गांधीनगर, गुजरात में 22.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

19. बेलगाम, कर्नाटक में 103.7209 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्रिसीजन इंजीनियरिंग उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए क्वेस्ट मशीनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 2 का क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बेलगाम, कर्नाटक में 103.7209 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में क्वेस्ट मशीनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा प्रिसीजन इंजीनियरिंग उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मुख्य एजेंडा

मद संख्या 2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में सिपकॉट द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकॉम हार्डवेयर एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टैप सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 8 अगस्त, 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया क्योंकि सह विकासक के निवल मूल्य के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि विकासक ने अब निवल मूल्य प्रदान किया है जो 70 करोड़ है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में सिपकॉट द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकॉम हार्डवेयर एसईजेड में सह विकासक

के लिए मैसर्स टैप सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) कोयंबटूर, तमिलनाडु में कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पेरोट सिस्टम्स टीएसआई (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक का निवल मूल्य 329.78 करोड़ रुपए है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोयंबटूर, तमिलनाडु में कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पेरोट सिस्टम्स टीएसआई (इंडिया) लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) एनएमएसईजेड डवलपमेंट कंपनी (पूर्व में सिडको) द्वारा विकसित किए जाने वाले बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने टिप्पणी की कि इतना सारा निवेश सृजित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और यह केवल कर नियोजन का उपाय है जिसे एसईजेड में सह विकासक के रूप में नियुक्ति के लिए 7 कंपनियों ने प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि कंपनी के पास पर्याप्त संसाधन है और वांछित अवसंरचना सुविधाओं के लिए पर्याप्त तरलता का सृजन कर चुकी है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह भी पुष्टि की कि मैसर्स जय कार्पोरेशन लिमिटेड जो सभी 7 कंपनियों ने प्रमुख हितधारकों में से एक है, ने 338.84 करोड़ रुपए का निवल मूल्य प्राप्त किया है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने निर्देश दिया कि अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा जिसमें कंपनी के प्रतिनिधि को विषय पर प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि कंपनी की वित्तीय स्थिति के संबंध में विकासक से और ब्यौरे मंगाए जाएंगे तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा।

मद संख्या 3 : कृष्णागिरि, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने और पुष्टि के लिए मैसर्स टिडको का अनुरोध

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की पुष्टि करने तथा कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल के लिए अर्थात 26 दिसंबर 2007 तक बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 4 : एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध :

(i) खुर्दा, उड़ीसा में आईटी एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स उड़ीसा औद्योगिक अवंसरचना विकास निगम (इडको) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि भूखंड पर भवन मौजूद है जिसे अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अतिरिक्त क्षेत्र की अधिसूचना के प्रयोजनार्थ भवन को गिराने की आवश्यकता होगी। इडको का प्रतिनिधि मौजूदा भवन को गिराने के संबंध में पक्की प्रतिबद्धता नहीं कर सका। इसे ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 5 : अनुमोदन को ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध

(i) एसपीवी के नाम में सैद्धांतिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स क्वेस्ट मशीनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसपीवी कंपनी के निवल मूल्य के संबंध में ब्यौरों के कारण 08 अगस्त, 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि विकासक ने एसपीवी कंपनी का निवल मूल्य प्रदान किया है जो 51.80 करोड़ है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने एसपीवी कंपनी अर्थात क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम में सैद्धांतिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स क्वेस्ट मशीनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) कीसरपल्ली गांव, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के विकास के लिए एलएंडटी हाइटेक सिटी लिमिटेड को विकासक का दर्जा हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स एपीआईआईसी का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने कीसरपल्ली गांव, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के विकास के लिए एलएंडटी हाइटेक सिटी लिमिटेड को विकासक का दर्जा हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स एपीआईआईसी के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 6 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में वस्त्र एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक के प्रतिनिधियों ने विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि निर्मित क्षेत्र के स्थान पर कुल क्षेत्रफल के रूप में अर्थात एकड़ में अधिकृत गतिविधियों की मात्रा दी गई है।

अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ प्रत्येक प्रस्तावित अधिकृति पर चर्चा की तथा विकासक को बैठक के दौरान चर्चा के आलोक में प्रत्येक गतिविधि के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में विचार करने के लिए विभाग को ये प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया कि इन अधिकृत गतिविधियों की मात्रा वर्गमीटर में निर्मित क्षेत्र के रूप में दी जाए। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ii) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फर्मास्युटिकल एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स वोकहार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 1 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की। अन्य प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि ये यूटिलिटीज हैं, जिनका अनुमोदन विकास आयुक्त / यूनिट अनुमोदन समिति के क्षेत्राधिकार में है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्देश दिया कि कुछ गतिविधियों को स्पष्ट करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाया जाएगा, जिनका ब्यौरा उनके प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं है।

(iii) विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए मैसर्स सीरम एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विद्युत उत्पादन क्षमता 5 मेगावाट से बढ़ाकर 50 मेगावाट करने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विद्युत का प्रयोग केवल कैप्टिव प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

(iv) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एनआईआईटी टेक्नोलाजीज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 2 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) नानक्रामगुडा, आंध्र प्रदेश में एपीआईआईसी द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स टीएसआई बिजनेस पार्क (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 3 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 7 : सोनीपत, कुंडली, हरियाणा में बहु उत्पाद एसईजेड के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनीटेक हरियाणा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने मंजूरी पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सोनीपत, कुंडली, हरियाणा में बहु उत्पाद एसईजेड के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय लिया और निर्देश दिया कि यदि विकासक चाहें तो वे प्रस्ताव के लिए नया आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

मद संख्या 8 : महब्बतनगर, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में भवन उत्पाद एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन के लिए मैसर्स एपीआईआईसी का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने महब्बतनगर, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में भवन उत्पाद एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन के लिए मैसर्स एपीआईआईसी के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 9 : मंजूरी पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एडीएफ फूड्स लिमिटेड का अनुरोध

कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि विकास आयुक्त ने अनुमोदन पत्र की वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने यह भी बताया कि वे मंजूरी पत्र की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि विकासक ने उनको 3 एकड़ भूमि आवंटित करने का वादा किया है। तथापि, 3 एकड़ भूमि के लिए पूरा भुगतान करने के बावजूद उन्हें केवल डेढ़ एकड़ भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यद्यपि उन्होंने पूरी भूमि के लिए भुगतान कर दिया है फिर भी विकासक ने उनको भूमि आवंटित नहीं की है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इन कारणों से उन्होंने पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया। उन्होंने दलील दी कि उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरोध पर विचार किया जाए।

विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने सूचित किया कि कंपनी ने 45 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर एलओए की शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति के प्रमाण में स्वीकृति पत्र प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि कंपनी ने विकास आयुक्त के साथ बांड सह विधिक वचन पत्र निष्पादित नहीं किया। इसे ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड द्वारा कंपनी को प्रदान किया गया मंजूरी पत्र निरस्त कर दिया गया।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए 17 सितंबर 2008 तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन निर्णय लिया कि अब और कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुमोदन बोर्ड ने निर्देश दिया कि सततता के लिए विकासक को अपने निर्णय को अंतिम रूप देना होगा या अन्यथा वाणिज्यिक हित को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि विकासक उनको शेष भूमि आवंटित करता है या नहीं। यदि उनको शेष भूमि आवंटित नहीं की गई है तो वे ब्याज के साथ देय राशि वापस करने के लिए विकासक से कह सकते हैं।

मद संख्या 10 : विदेशी संस्था को सेवाओं की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स मारूती एक्सपोर्ट्स का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 8 अगस्त 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की टिप्पणियां मंगाई गईं जो अब तक प्राप्त नहीं हुई हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

पूरक एजेंडा

मद संख्या 3 : रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स जेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टंडन इंफार्मेशन सोल्युसंश प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक के निवल मूल्य के संबंध में स्पष्टता नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 4 : कोकापेट, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड का क्षेत्रफल घटाने के कारणों के संबंध में एपीआईआईसी से और ब्यौरों की आवश्यकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने यह निदेश देते हुए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि विकासक से और ब्यौरे प्राप्त किए जा सकते हैं।

मद संख्या 5 : एलओपी के निलंबन के लिए विकास आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करने के लिए मैसर्स करन एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 6 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) पुणे, महाराष्ट्र में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मागरपट्टा टाउनशिप डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 4 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) तोरैपक्कम - पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ईटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 05 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की। ये अधिकृत गतिविधियां प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित की जाएंगी। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया कि प्रवेश नियंत्रण ग्राउंड लेवल से होना चाहिए।

(iii) गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 6 के अनुसार अन्य अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने होटल से संबंधित मद को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा निर्देश दिया कि अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।

मद संख्या 6(iv) से मद संख्या 8 : समयाभाव के कारण इन मदों में निहित प्रस्तावों को 19 अक्टूबर 2007 के लिए निर्धारित अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक के दौरान इन पर विचार करने के निर्देश के साथ आस्थगित कर दिया गया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुबंध 1

फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

1. फायर हाइड्रेंट सिस्टम
2. स्टैंडबाई पावर (डीजी) सिस्टम - 1500 केवीए
3. ईंधन तेल भंडारण - 210 केएल
4. विकासक के लिए कार्यालय तथा प्लांट इंजीनियरिंग / आफिस बिल्डिंग - 500 वर्गमीटर
5. गोदाम - 1000 वर्गमीटर

अनुबंध 2

एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज

प्रसंस्करण क्षेत्र में

क्र. सं.	**प्रसंस्करण क्षेत्र**
1	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा पुलिस चौकियां
2	निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
3	मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
4	पावर बैकअप की सुविधाएं
5	स्वीमिंग पूल
6	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
7	केवल प्रसंस्करण क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रयोग के लिए कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि क्रेच, मेडिकल सेंटर, लांड्री, कनविनियंस स्टोर तथा ऐसी अन्य सुविधाएं।
8	स्वचालित टेलर मशीन के लिए स्थान
9	इनक्यूबेशन / कनवेंशन सेंटर
10	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
11	खेल का मैदान
12	बस बे
13	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
14	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
15	ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां
16	शॉपिंग आर्केड / रिटेल सर्विसेज
17	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में

क्र. सं.	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र**
1	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा पुलिस चौकियां
2	निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
3	पावर बैकअप की सुविधाएं - 16 मेगावाट
4	एयर कंडिशनिंग
5	खेल का मैदान

6	बस बे
7	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
8	ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में

क्र. सं.	**सामाजिक अवसंरचना का प्रकार**	**मात्रा**
1	आवास / सर्विस अपार्टमेंट	अधिकतम क्षेत्रफल 10,000 वर्गमीटर
2	शॉपिंग आर्केड / रिटेल सर्विसेज	अधिकतम क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर

अनुबंध 3

टीएसआई बिजनेस पार्क (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	प्रसंस्करण क्षेत्र
1	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा पुलिस चौकियां
2	निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
3	मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
4	विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
5	स्वीमिंग पूल
6	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
7	केवल प्रसंस्करण क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रयोग के लिए कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि क्रेच, मेडिकल सेंटर, लांड्री, कनविनियंस स्टोर तथा ऐसी अन्य सुविधाएं।
8	इनक्यूबेशन / कनवेंशन सेंटर
9	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
10	खेल का मैदान
11	बस बे
13	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
14	ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर अवसंरचना सुविधाओं की मात्रा

सुविधा	मात्रा (वर्गफीट में)
फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट	43,000
जिम / फिटनेस सेंटर	10,000
कॉफी बार	1,200
बैंक / एटीएम के लिए स्थान	4,500
संड्री स्टोर	2,000
फाइन डायनिंग रेस्टोरेंट / फूड कोर्ट	4,000
क्लीनिक / फार्मेसी	500
जूस / आइसक्रीम पार्लर	500
लांड्री / ड्राई क्लीनर	500
बुकस्टोर / म्यूजिक शॉप / गिफ्ट शॉप	500
ट्रैवल डेस्क / कंसीर्ज सर्विस	500

अनुबंध 4

मागरपट्टा टाउनशिप डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

1.	निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
2.	मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
3.	स्वीमिंग पूल
4.	क्लब हाउस, इंडोर और/अथवा आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं तथा फिटनेस की अन्य गतिविधियां और ग्रूमिंग से संबंधित अवसंरचना, ऑडिटोरियम, स्क्रीनिंग रूम, सिविक सेंटर आदि।
5.	कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, क्लीनिक, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
6.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
7.	खेल का मैदान
8.	बस बे
9.	फूड सर्विस - कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
10.	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
11.	डाक घर के लिए भवन, माल के परिवहन एवं प्रलेखन के लिए कूरियर एजेंसियों तथा अन्य एजेंसियों के लिए कार्यालय
12.	बैंकों के लिए भवन तथा वित्त पोषण में शामिल संस्थाओं के लिए अन्य अवसंरचना सुविधाएं
13.	एसईजेड यूनिटों के लिए व्यवसाय सहायक एवं सहायता सेवाओं के लिए सुविधाओं के लिए भवन
14.	पार्क, लैंडस्केपिंग
15.	पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तथा अन्य ईंधन पंप
16.	वाहन पार्किंग ब्लाक
17.	माल के भंडारण के लिए गोदाम, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं
18.	बुक शॉप के लिए भवन
19.	बीमा के लिए भवन
20.	ट्रैवल डेस्क के लिए भवन
21.	किर्बी स्ट्रक्चर
22.	लिफ्ट, एलीवेटर और वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन
23.	बिल्डिंग आटोमेशन सिस्टम
24.	प्रचालन / अनुरक्षण / डाटा कक्ष
25.	एसईजेड में यूनिटों की आवश्यकता के अनुसार अन्य अवसंरचना सुविधाएं

26.	ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां
27.	पावर बैकअप की सुविधाओं के लिए अवसंरचना सहित राज्य ग्रिड से अच्छी बिजली की उपलब्धता के आधार पर लोड की आवश्यकता पूरी करने के लिए आवश्यक क्षमता के गैस आधारित विद्‌युत उत्पादन सेट, डीजल उत्पादन सेट / स्टैंडबाई उत्पादन सेट सहित कैप्टिव पावर प्लांट के साथ विद्‌युत उत्पादन की सुविधाएं (केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए प्रति टावर 5 मेगावाट से अधिक क्षमता नहीं होनी चाहिए)
28.	आईटी प्रशिक्षण एवं शैक्षिक संस्थाएं तथा केन्द्र

सभी अधिकृत प्रचालन केवल प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमत हैं।

अनुबंध 5

ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड

1. सामान्य सुविधाएं जैसे कि बैंकिंग, एटीएम
2. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
3. टूर एंड ट्रैवल एजेंसियां
4. डाक घर, माल के परिवहन एवं प्रलेखन के लिए कूरियर एजेंसियों तथा अन्य एजेंसियों के लिए कार्यालय
5. कार्यालय उपकरण, फर्नीचर के लिए स्टोर, जनरल स्टोर, केमिस्ट स्टोर आदि सहित छोटे खुदरा एवं कनविनियंस स्टोर

(उपर्युक्त गतिविधियां प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर अनुमत होंगी)

अनुबंध 6

उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

पहले अनुमोदित किए गए अधिकृत प्रचालनों के अलावा अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	**मदें**	**प्रस्तावित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**
1	आवासीय अपार्टमेंट	7,50,000	7,50,000
2	शॉपिंग आर्केड	80,000	25,000
3	हॉस्पिटल / क्लीनिक	25,000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल में 100 बेड का हॉस्पिटल	25,000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल में 100 बेड का हॉस्पिटल
4	मल्टीप्लेक्स	50,000	16,000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल में 2 मल्टीप्लेक्स
5	प्रशिक्षण केंद्र	60,000	60,000 (प्रसंस्करण क्षेत्र में)
6	कार्यालय स्थान	50,000	10,000
7	स्कूल (प्राइमरी / सेकेंडरी / हाई स्कूल)	30,000	30,000